

विधानसभा निर्वाचन तत्काल



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला – सुकमा (छ.ग.)

Phone & Fax No.- 07864284013, Email Id- deo-sukama.cg@nic.in

क्रमांक /1785/ निर्वा.शाखा/ वि.स.निर्वा./ नाम.निर्दे./ 2018,

सुकमा, दिनांक 16 / 10 / 2018

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), सुकमा/कोण्टा
2. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सुकमा/कोण्टा/छिन्दगढ़/दोरनापाल
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सुकमा/दोरनापाल/कोण्टा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुकमा/कोण्टा/छिन्दगढ़
5. समस्त ग्राम पंचायत जिला सुकमा
(द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,)

विषय :- निर्वाचन की सूचना "प्ररूप-1" के प्रकाशन बाबत।

-0:0-

विषयांतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर, विधानसभा क्षेत्र-90/कोण्टा, जिला सुकमा (छ.ग.) द्वारा जारी निर्वाचन की सूचना "प्ररूप-1" (निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 3) एक प्रति संलग्न कर, कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन किये जाने हेतु प्रेषित है। आप आज ही संलग्न निर्वाचन की सूचना "प्ररूप-1" को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर, पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करावे।

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला सुकमा को निर्देशित किया जाता है कि आप संलग्न अधिसूचना को समस्त ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा करें।

संलग्न :- निर्वाचन की सूचना "प्ररूप-1"

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सुकमा (छ.ग.)
सुकमा, दिनांक 16 / 10 / 2018

पृ. क्रमांक /1785A/ निर्वा.शाखा/ वि.स.निर्वा./ नाम.निर्दे./ 2018,
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग., रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला सुकमा की ओर अधिसूचना "प्ररूप-1" की प्रति संलग्न प्रेषित है। आप किन्ही 2 क्षेत्रीय समाचार पत्र एवं 01 राज्यीय समाचार पत्र में संलग्न प्ररूप-1 का तत्काल प्रकाशन करावें एवं समाचार पत्र के प्रति साथ इस कार्यालय को सूचित करें।
3. एन.आई.सी. प्रभारी जिला सुकमा को जिला के वेब साइट में संलग्न प्ररूप-1 को अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला सुकमा (छ.ग.)

Conduct of Election Rules 1961

"FORM 1"

(See rule 3)


NOTICE OF ELECTION

Notice is hereby given that:-

- (1) An election is to be held of a member to the Legislative assembly **90-KONTA (C.G.)**.
- (2) Nomination papers may be delivered by a candidate or any of his proposer to the **Returning Officer or Assistant Returning Officer (Sub Divisional Officer (Revenue) SUKMA) at Office Of The Collector (Room No.-04, ground Floor) Dist-SUKMA (C.G.) between 11:00 A.M. and 03:00 P.M.** on any day (other than public holiday) not later than the **23-10-2018**.
- (3) Forms of nomination paper may be obtained at the place and times aforesaid;
- (4) Nomination paper will be taken up for scrutiny at **Office of the Collector (Room No.-31, ground Floor) Dist- SUKMA (C.G.)** on **24-10-2018** at **12:00 PM**.
- (5) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer or his election agent who has been authorised in writing by the candidate to deliver it to either of the officers specified in paragraph (2) above at his office before **03:00 P.M.** on the **26-10-2018**.
- (6) In the event of the election being contested, the poll will be taken on **Date 12-11-2018** between the hours of **07:00 A.M. and 03:00 P.M.**

Place: - **SUKMA (C.G.)**

Date :- **16-10-2018**.



Returning Officer
विधानसभा क्षेत्र-90/कान्टा
जिला सुकमा (उ.ग.)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप 1

निर्वाचन की सूचना


(नियम 3 देखिये)

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि :-

- (1) 90/कोण्टा (छ.ग.) विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन होना है।
- (2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या सहायक रिटर्निंग आफिसर (अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सुकमा) को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) दिनांक 23.10.2018 से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11:00 बजे पूर्वाह्न और 03:00 बजे अपरान्ह के बीच कार्यालय कलेक्टर (कक्ष क्रमांक -04, भू-तल) जिला-सुकमा (छ.ग.) में परिदत्त किये जा सकेंगे।
- (3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किये जा सकेंगे।
- (4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए कार्यालय कलेक्टर (कक्ष क्रमांक-31, भू-तल) जिला सुकमा (छ.ग.) में दिनांक 24.10.2018 को 12:00 बजे अपरान्ह लिये जायेंगे।
- (5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 26.10.2018 को 03:00 बजे अपरान्ह के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी।
- (6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक 12.11.2018 को प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर समय प्रातः 07:00 बजे से 03:00 बजे अपरान्ह के बीच मतदान होगा।

स्थान :- सुकमा

तारीख :- 16.10.2018


रिटर्निंग आफिसर
रिटर्निंग आफिसर
विधानसभा क्षेत्र-90/कोण्टा
जिला सुकमा (छ.ग.)